(147)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

III/निग0/रीवा/2017/2781 Rs.30/-

1— विनायक प्रसाद ब्रा0 उम्र65 वर्ष तनय श्री मंगलेश्वर प्रसाद

2— रामचरण ब्रा0 उम्र 44 वर्ष तनय श्री मंगलेश्वर प्रसाद

3— मंगलेश्वर प्रसाद, उम्र 84 वर्ष, तनय श्री देवनारायण ब्रा0
सभी निवासी ग्राम डिहिया पोस्ट जुडमनिया, थाना नईगढ़ी, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0

—————आवेदकगण /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

बृन्दावन तनय मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा0 उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम भुवरी, थाना लौर, तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

अधि0 श्री सुरेन्द्र मिश्रा द्वारा पेश 22.8.17

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण कमांक 93/अ6–अ/16–2017 में पारित आदेश दिनांक 9.08.2017

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

1— अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.08.2017 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2— अधीनस्थ न्यायालय ने विहित प्रक्रिया का अनुशरण नही किया धारा 113 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन मामला प्रस्तुत था, जो जॉच

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/ /रीवा/भू.रा./2017/2781

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के प्र0क0 93 अ–6–अ/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया तथा अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 8–8–17 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है – **" शासन व्दारा पुराने राजस्व मामलों को शीघ्र निराकृत किये जाने के निर्देश दिया गया है। यह प्रकरण 12–8–14 से विचाराधीन है। प्रकरण में पूर्व से अंतिम तर्क हेतु समय दिया गया था। अतः प्रकरण आदेश में नियत करते हुये उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि नियत आदेश दिनांक के एक दिन पूर्व तक लिखित तर्क प्रस्तुत करे।** **प्रकरण आदेशार्थ 29–8–17 "** आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 8–8–17 से 29–8–17 के बीच लिखित बहस प्रस्तुत करना मुनासिव नहीं समझा, अपितु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिये गये समय की उपेक्षा करते हुये दिनांक 22–8–17 को यह निगरानी प्रस्तुत कर दी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण मामले का यथासमय निराकरण होने देना नहीं चाहते हैं एंव निगरानी करके स्वयं का एंव न्यायालय का समय नष्ट करने का इरादा रखते हैं। विचाराधीन निगरानी सारहीन होने एंव प्रचलनयोग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	